UPSP100050022021

Presented on : 26-10-2021
Registered on : 26-10-2021
Decided on : 31-08-2026
Duration : 4 years, 10 months, 5 days

न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, सहारनपुर।

परिवाद संख्या– 2574/2021

तरन्नुम बनाम जाकिर आदि।

धारा–323, 504, 406, 506 भा0द0स0
थाना–देवबन्द, जिला सहारनपुर।

सुलहनामा अंतर्गत धारा 320 द0प्र0सं0

20–08–2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/परिवादिया श्रीमती तरन्नुम के द्वारा प्रार्थनापत्र अं.धारा 320 द0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का उपरोक्त परिवाद में राजीनामा हो गया है। प्रार्थी/परिवादिया अब वाद उपरोक्त में आगे कोई कार्यवाही करना नहीं चाहती है और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहती है। तदानुसार सुलहनामा के आधार पर परिवाद समाप्त करने की प्रार्थना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मामला परिवाद पर आधारित है, जिसमें न्यायालय के आदेश दिनांकित 26.11.2021 के द्वारा अभियुक्त जाकिर, रिजवान, आबिद, हदीसन को धारा 406, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया है। उपरोक्त 323, 504, 506 भा.दं.सं. सभी धाराएं सी.आर.पी.सी. की धारा 320(1) के अन्तर्गत शमनीय है तथा धारा 406 भा.दं.सं. 320(2) सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत न्यायालय की स्वीकृति के आधार पर शमनीय है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में स्वंय पीड़िता द्वारा न्यायालय समक्ष उपस्थित आकर अभियुक्तगण के साथ समझौता होने का कथन किया गया है तथा समझौते के आधार पर मुकदमे के निस्तारण का आग्रह किया गया हे। अतः न्यायालय द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 406 भा.दं.सं. के शमन हेतु स्वीकृति दी जाती है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले को सुलह के आधार पर निस्तारित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/परिवादिया श्रीमती तरन्नुम एवं विपक्षीगण जाकिर, रिजवान, आबिद, श्रीमती हदीसन का सुलहनामा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 320 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/परिवादिया श्रीमती तरन्नुम द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा प्रार्थनापत्र अं. धारा 320 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण जाकिर, रिजवान, आबिद, हदीसन को सुलह के आधार पर परिवाद सं.–2574/2021 अं.धारा–406, 323, 504, 506 भा.दं.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्तगण के जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है तथा बन्धपत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(आशीषानन्द)
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवबन्द, सहारनपुर
जे.ओ.कोड यू.पी. 3698